म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/भुगतान/2018–19/1957 भोपाल, दिनांक :29/05/19

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ....(समस्त)

2– भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
.... जिला ....(समस्त)

विषयः– मंडियों में किसानों द्वारा विक्रित कृषि उपज पर नगद भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में।

समय–समय पर अनेक मंडियों में ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये हैं जहां किसानों को व्यापारियों द्वारा भुगतान योग्य राशि बैंक ट्रांसफर प्रणाली जैसे आरटीजीएस/एनईएफटी इत्यादि से तत्समय भुगतान नहीं करते हुए, रात्रि समय अथवा अवकाश की स्थिति का दुरूपयोग करते हुये उधार की गयी और बाद में संबंधित व्यापारियों द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाकर व्यतिक्रम किया गया, जो कि मंडी अधिनियम की धारा 37(2) के प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है।

2– इसके अतिरिक्त प्रदेश में नगद भुगतान के लिए विभिन्न मंडियों में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। जहां एक ओर प्रदेश की कई मंडियों में पूर्णतः नगद भुगतान किया जा रहा है जिससे की कृषक संतोष व्यक्त कर उन मंडियो में कृषि उपज विक्रय हेतु अग्रसर हो रहे हैं, वहीं कतिपय मंडियों द्वारा आयकर अधिनियम के सामान्य भुगतान नियम का हवाला देते हुए मात्र रूपये 10 हजार तक ही नगद भुगतान किया जा रहा है। वही कुछ व्यापारियों द्वारा उसी एक ही मंडी में पूर्ण नगद भुगतान किया जा रहा है, जबकि कुछ व्यापारियों द्वारा नगद एवं आरटीजीएस/एनईएफटी दोनो से भुगतान किया जा रहा है।

यह भी संज्ञान मे आया है कि अनेक व्यापारियों द्वारा आयकर अधिनियम की आड़ लेकर नगद भुगतान न कर किसानों से उधारी की जाती है और इस बीच में उनके द्वारा क्रय उपज आगे बेचकर राशि प्राप्त होने पर ही कृषकों को भुगतान किया जाता है।

3— भारत सरकार वित्त मंत्रालय :— डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू (सीबीडीटी) द्वारा कृषकों द्वारा कृषि उपज के विक्रय पर भुगतान के संबंध में जारी स्पष्टीकरण दिनांक 03.11.17 से स्पष्ट किया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40A(3) के प्रावधानों पर आयकर नियम 1962 के नियम 6 DD(e) के अंतर्गत छूट दी गयी है, जिसके तहत किसानों/उत्पादको द्वारा विक्रित कृषि उपज पर रूपये 2.00 लाख तक नगद भुगतान (अधिकतम 1,99,999/—) पर पूर्ण छूट है और उक्त भुगतान करने पर प्राप्तकर्ता (कृषक) पर आयकर अधिनियम की धारा 269ST भी लागू नहीं होती है तथा कृषकों को उसका पेनकार्ड अथवा फार्म नं. 60 प्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त स्पष्टीकरण को दृष्टिगत् रखते हुए कृषको को रूपये 2.00 लाख तक के नगद भुगतान पर किसी प्रकार का प्रतिबंध वर्तमान में नहीं है।

4— कृषि उपज मंडी अधिनियम धारा 37 (2) (क) के अनुसार मंडी प्रांगण में क्रय की गई कृषि उपज का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किया जाना अनिवार्य हैं । उसी दिन भुगतान नही होने के स्थिति में मंडी अधिनियम की धारा 37(2)(ख) के अनुसार विक्रेता को देय कृषि उपज के एक प्रतिशत की प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान 5 दिवस के भीतर करने का प्रावधान हैं एवं इस अतिरिक्त अवधि में भुगतान का व्यतिक्रम होने पर मंडी अधिनियम की धारा 37(2)(ग) के अनुसार क्रेता व्यापारी की अनुज्ञप्ति 6वे दिन स्वतः रद्द समझी जावेगी और इसे या उनके नातेदार को ऐसे रद्दकरण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नही की जायेगी। (नातेदार से अभिप्राय हैं ऐसे नातेदार जैसे की मंडी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण में विर्निदिष्ट हैं।)

5— मंडी अधिनियम की धारा 37(2) के अन्तर्गत किसानो के उसी दिन भुगतान मंडी प्रांगण में कराये जायें । मंडी सचिव अनुज्ञा पत्र जारी कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि किसानो का भुगतान हो चुका हैं । भुगतान पत्रक पर किसान के भुगतान प्राप्ति के हस्ताक्षर सत्यापित करा लिये गये हैं । परिपत्र कमांक

1639 दिनांक 03.04.19 में कृषको के भुगतान का सत्यापन करने और तद्उपरान्त ही निकासी की अनुमति देने के संबंध में कार्रवाही करने व जानकारी देने हेतु पत्रक निर्धरित किये गये हैं तथा प्रतिदिन उक्त जानकारी आंचलिक कार्यालय के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया हैं ।

6– इसी प्रकार कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 19(4) में स्पष्ट हैं कि अधिसूचित कृषि उपज ऐसी उपज पर देय मंडी फीस के भुगतान के बिना प्रांगण के बाहर प्रसंस्कृत या विनिर्मित की गई हैं या बेच दी गई हैं या पुनः बेच दी गई हैं तो मंडी फीस यथा स्थिति प्रसंस्कृत या विनिर्मित उपज के बाजार मूल्य या कृषि उपज के मूल्य के पॉच गुने की हिसाब से उद्ग्रहित तथा वसूली की जायेगी ।

अतः पूर्ण मंडी फीस प्राप्ति किये जाने के उपरान्त ही किसी भी कृषि उपज की मंडी प्रांगण से निकासी की अनुमति दिये जाने की आदेश दिये हैं और परिपत्र कमांक 1067 दिनांक 01.01.19 में तत्संबंधी सत्यापन करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन जानकारी आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय भोपाल प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं ।

7– उपरोक्तानुसार कृषको/उत्पादको की आवश्यकतानुसार, मंडी अधिनियम के प्रावधान धारा 37(2) में उसी दिन भुगतान की एवं 19(4) में निकासी पूर्व कृषक भुगतान व मंडी शुल्क पूर्ण जमा होने की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश की कृषि उपज मडियो में निम्नानुसार व्यवस्था हेतू आदेशित किया जाता हैं –

(1) कृषि उपज मण्डी में कृषक/उत्पादक के सत्यापन पोर्टल से तथा पोर्टल पर पंजीयन न होने पर कृषक द्वारा स्वयं की पहचान (आईडेंटीटी) के आधार पर तथा खसरा नकल के आधार पर मंडी में एक पंजी में प्रविष्टि कर जानकारी कार्यालय में संधारित रख क्रेता व्यापारी को कृषक होने के सत्यापन सील लगा अथवा प्रमाण पत्र से तत्समय जारी किये जावेगें । इस हेतु मंडी में उत्तरदायित्व निर्धारित कर हेल्पडेस्क स्थापित की जावे ।

(2) जिन कृषको के पंजीयन उपार्जन/मंडी/ई–नाम/भाभुयो आदि में उपलब्ध हैं, से भी कृषको के होने का सत्यापन किया जा सकेगा ।

(3) समस्त कृषकों को उनकी कृषि उपज का रूपये 2.00 लाख तक (अधिकतम 1,99,999/–) नगद में ही भुगतान अनिवार्यतः किया जायेगा।

(4) संबंधित व्यापारियों द्वारा मंडी में उपज के क्रय उपरांत मंडी द्वारा जारी अनुबंध, तौल एवं भुगतान पर्ची को संधारित किया जावेगा। किसानों का प्रमाणिकरण मंडी द्वारा किये जाने उपरान्त ,किसी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की जावे। आयकर विभाग द्वारा अपेक्षित करने पर मंडी द्वारा किसान प्रमाणिकरण के अभिलेख उपलब्ध कराये जावेगें।

(5) गैर कृषक अथवा गैर कृषि उत्पादक भी मंडी प्रांगण में उपज विक्रय हेतू आते हैं तथा मंडी अधिनियम में किसी को भी मंडी प्रांगण में ही कृषि उपज क्रय विक्रय की अनुमति होने से मंडी में छोटे संग्राहक विक्रेता द्वारा भी उपज विक्रय की जाती हैं को भी मंडी अधिनियम की धारा 37(2) के तहत उसी दिन भुगतान प्राप्त करने का अधिकार हैं, ऐसी स्थिति में संबंधित विक्रता को विधि की परिधि में अधिकतम नगद व उसी दिन बैंक ट्रांसफर से भुगतान की व्यवस्था लागू किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

(6) किसी भी दशा में किसान को धारा 37(2) की भुगतान अनिवार्यता के अनुरूप, पूर्ण भुगतान उसी दिन किया जाना आवश्यक हैं, इस हेतू निर्देशानुसार अधिकतम रू 2.00 लाख नगद व शेष उसी दिन बैंक ट्रांसफर प्रणाली से, किसान के खाते में प्राप्त होना अनिवार्य हैं ।

(7) किसान अथवा अन्य विक्रेता द्वारा विक्रय की गई कृषि उपज निकासी अनुज्ञा के पूर्व, मंडी अधिनियम की धारा 37(2) के तहत, किसान/विक्रेता को पूर्ण भुगतान की प्राप्ती व उसका सत्यापन किया जाना अनिवार्य हैं, साथ ही मंडी अधिनियम की धारा 19 के तहत अनुज्ञा जारी करने के पूर्व किसान का भुगतान पूर्ण प्राप्त होना व मंडी शुल्क की प्राप्ति होने के उपरान्त ही, निकासी प्रदान की जा सकती है।

अतः विक्रेता को पूर्ण भुगतान व मंडी फीस प्राप्त किये बिना, किसी भी दशा में निकासी की अनुमति नही दी जावे ।

(8) यदि कोई लाईसेंसी व्यापारी अधिनियम के उक्त निर्देशों का पूर्ण परिपालन नहीं करता है तो उसके क्रय–विक्रय को रोका जावे और उसका लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावे । मंडी सचिव, निरीक्षक, उप निरीक्षक व अन्य कर्मचारी द्वारा उक्त निर्देशो के लागू करने में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाही की जावेगी।

(9) इन निर्देशों का प्रचार–प्रसार मंडियों में प्रवेश, नीलामी, भुगतान, निकासी स्थल पर दीवार लेखन, होर्डिंग व बैनर लगाकर और लगातार ध्वनि विस्तारक यंत्रो से लगातार उदघोषणा की जावे । किसानों को भी इस संबंध में अधिकाधिक अवगत कराया जावे। किसानो की भुगतान संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु मण्डी सचिव एवं प्रांगण प्रभारी, भुगतान प्रभारी के नाम एवं मोबाईल नम्बर भी सहज दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।

(10) जिन कृषि उपज मण्डियो मे अथवा जिन व्यापारियो के द्वारा वर्तमान मे पूर्णतः नगद भुगतान किया जा रहा है, वहां पर प्रचलित व्यवस्था को यथावत रखा जाए।

(11) अनुज्ञप्तिधारी प्रोसेसिंग प्लांट, एकल अनुज्ञप्ति/विशिष्ट अनुज्ञप्ति क्रय केन्द्र पर जहां पर कृषि उपज क्रय मात्रा एवं दैनिक भुगतान की मात्रा अत्याधिक रहती है और इस कारण से उक्त रूपये 2.00 लाख नगद भुगतान व्यवस्था की जाना संभव नही है, ऐसी स्थिति मे वहां पर क्रय दिवस मे अधिकतम संभव नगद भुगतान एव शेष भुगतान उसी दिन बैंक ट्रांसफर प्रणाली आरटीजीएस/एनईएफटी इत्यादि से कराया जावे।

उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

29/5/17

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क/बोर्ड/नियमन/भुगतान/2018–19/1358 , भोपाल, दिनांक :29/05/19

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषित।

1– विशेष सहायक, माननीय मंत्री, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।

2– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन।

3– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।

4– अपर/संयुक्त/उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। मंडियो में निरीक्षण में उक्त का परीक्षण सत्यापन कर प्रतिवेदन देवे ।

29/5/19

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.